

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -413/2023

अनवान : -

1. नत्थुराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. रामकिशन पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
2. रामस्वरूप पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
3. श्रवण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
4. शकुन्तला पत्नी बुधराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
5. मन्जू पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
6. उर्मिला पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 03.06.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 43/43 के कुल खसरे 64 का कुल क्षेत्रफल 13.1560 है0 भूमि व खाता संख्या 45/45 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 0.4170 है0 भूमि व खाता संख्या 204/19 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 0.7580 है0 व खाता संख्या 188/191 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 0.5750 है0 भूमि व खाता संख्या 44/52 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.5060 है0 भूमि व रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 27/27 के कुल खसरे 33 का कुल क्षेत्रफल 6.072 है0 भूमि व रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत के खाता संख्या 190/55 के कुल खसरे 22 का कुल क्षेत्रफल 4.5670 है0 भूमि व रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 118/123 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.012 है0 भूमि मुश्तरका दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का हक हिस्सा है।

उक्त भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण ने पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आरएमएस तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 43/43 के

नोहर (हनुमानगढ)

कुल खसरे 64 का कुल क्षेत्रफल 13.1560 है0 भूमि में से 942/13156 हिस्सा भूमि पर वादी



काबिज है व 803/13156 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है एवं खाता संख्या 45/45 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 0.4170 है भूमि में से 0.2277 है भूमि पर वादी व 0.113 है पर प्रतिवादी संख्या 1 व 0.763 है भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है एवं खाता संख्या 204/19 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 0.7580 है में से प 0 नं 360/411 (47) के किला नं. 9 के मिन पूर्व की 0.076 है, 10 की 0.253 है भूमि पर वादी काबिज है व प 0 नं 360/411 (47) के किला नं. 6/4 की 0.012 है गै 0 मु 0 रास्ता, 7/2 की 0.012 है गै 0 मु 0 रास्ता, 8/2 की 0.2280 है, 9 के मिन पश्चिम की 0.177 है भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज एवं खाता संख्या 188/191 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 0.5750 है भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 अकेला काबिज है एवं खाता संख्या 44/52 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.5060 है भूमि पर वादी यथावत काबिज है एवं रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 27/27 के कुल खसरे 33 का कुल क्षेत्रफल 6.072 है भूमि में से प 0 नं 359/411 (8) किला नं. 1, 10, 11, 20 प्रत्येक की 0.253 है भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ब 0 हि 0 ब 0 काबिज है व प 0 नं 358/411 (7) किला नं. 2/1 के मिन पश्चिम की 0.082 है, 9 के मिन पश्चिम की 0.097 है, 10 की 0.253 है, 11 की 0.253 है, 12 के मिन पश्चिम की 0.097 है, 19 के मिन पश्चिम की 0.097 है, 20 की 0.253 है भूमि पर वादी काबिज है प 0 नं 358/411 (7) के किला नं. 2/1 के मिन उत्तर 0.013 है गै 0 मु 0 रास्ता, 2/1 के मिन दक्षिण की 0.133 है, 2/2 की 0.025 है गै 0 मु 0 खाला, 3/2 की 0.025 है गै 0 मु 0 खाला, 3/1 के मिन उत्तर 0.013 है गै 0 मु 0 रास्ता, 3/1 के मिन दक्षिण की 0.117 है, 8 के मिन पश्चिम की 0.138 है, 9 के मिन पूर्व की 0.156 है, 12 के मिन पूर्व की 0.156 है, 13 के मिन पश्चिम की 0.138 है, 18 के मिन पश्चिम की 0.138 है, 19 के मिन पूर्व की 0.156 है भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है व प 0 नं 358/411 (7) किला नं. 4/2 की 0.025 है गै 0 मु 0 खाला, 4/1 के मिन पश्चिम की 0.149 है, 7 के मिन पश्चिम की 0.176 है, 14 के मिन पश्चिम की 0.176 है, 17 के मिन पश्चिम की 0.176 है, 3/1 के मिन पूर्व की 0.098 है, 8 के मिन पूर्व की 0.115 है, 13 के मिन पूर्व की 0.115 है, 18 के मिन पूर्व की 0.115 है भूमि प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है व प 0 नं 348/411 (7) किला नं. 5/1 के मिन दक्षिण की 0.177 है, 5/2 की 0.025 है गै 0 मु 0 खाला, 5/1 के मिन की 0.013 है गै 0 मु 0 रास्ता, 5/3 की 0.038 गेरमु 0 रास्ता, 6/1 की 0.038 है गै 0 मु 0 रास्ता, 6/2 की 0.215 है, 15/1 की 0.215 है, 15/2 की 0.038 है गै 0 मु 0 रास्ता, 16/1 की 0.215 है, 16/2 की 0.038 है गै 0 मु 0 रास्ता, 4/1 के मिन उत्तर की 0.013 है गै 0 मु 0 रास्ता, 4/1 के मिन दक्षिण 0.066 है, 7 के मिन पूर्व की 0.077 है, 14 के मिन पूर्व की 0.077 है, 17 के मिन पूर्व की 0.077 है भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है प 0 नं 358/411 (7) के किला नं. 1/1 की 0.228 है, 1/2 की 0.025 है गै 0 मु 0 खाला पर वादी, 1/5 हिस्सा पर काबिज है एवं रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत के

उपखण्ड अधिकारी (प्रतिवादी)
नोहर (हनुमानगढ़)

खाता संख्या 190/55 के कुल खसरे 22 का कुल क्षेत्रफल 4.5670 है0 के प0 नं0 374/402 (59) किला नं. 12/1 की 0.240 है0, 12/2 की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 19 की 0.253 है0, 22 की 0.253 है0, 23/2 की 0.1140 है0 प0 नं0 374/403 (66) के किला नं. 3/2 की 0.038 है0 नहरी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है व प0 नं0 374/401 (56) के किला नं. 16/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 16/2 की 0.2280 है0 व प0 नं0 375/401 (57) के किला नं. 11 की 0.253 है0, 12 की 0.253 है0, 13 के पूर्व की 0.034 है0, 18 के मिन पूर्व की 0.034 है0, 19, 20, 21, 22 प्रत्येक की 0.253 है0, 23 के मिन पूर्व की 0.034 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है तथा इसी खाते की शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 118/123 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.012 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 अकेला काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।


वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 43/43 के कुल खसरे 64 का कुल क्षेत्रफल 13.1560 है0 भूमि व खाता संख्या 45/45 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 0.4170 है0 भूमि व खाता संख्या 204/19 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 0.7580 है0 व खाता संख्या 188/191 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 0.5750 है0 भूमि व खाता संख्या 44/52 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.5060 है0 भूमि व रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 27/27 के कुल खसरे 33 का कुल क्षेत्रफल 6.072 है0 भूमि व रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत के


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

खाता संख्या 190/55 के कुल खसरे 22 का कुल क्षेत्रफल 4.5670 है0 भूमि व रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 118/123 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.012 है0 भूमि मुश्तरका दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनतोष डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 43/43 की कुल 13.1560 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 एवं 3 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर 942/13156 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 803/13156 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 45/45 की कुल 0.4170 है0 भूमि में से 0.2277 है0 भूमि वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 0.113 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 0.0763 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 204/19 की कुल 0.7580 है0 में से प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 360/411 (47) के किला नं. 9 के मिन पूर्व की 0.076 है0, 10 की 0.253 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प0 नं0 360/411 (47) के किला नं. 6/4 की 0.012 है0 गै0 मु0 रास्ता, 7/2 की 0.012 है0 गै0 मु0 रास्ता, 8/2 की 0.2280 है0, 9 के मिन पश्चिम की 0.177 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 188/191 की कुल 0.6750 है0 भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 44/52 के की कुल 0.5060 है0 भूमि वादी के नाम यथावत रहेगी एवं रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 27/27 की कुल 6.072 है0 भूमि में से प0 नं0 359/411 (8) किला नं. 1, 10, 11, 20 प्रत्येक की 0.253 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प0 नं0 358/411 (7) किला नं. 2/1 के मिन पश्चिम की 0.082 है0, 9 के मिन पश्चिम की 0.097 है0, 10 की 0.253 है0, 11 की 0.253 है0, 12 के मिन पश्चिम की 0.097 है0, 19 के मिन पश्चिम की 0.097 है0, 20 की 0.253 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प0 नं0 358/411 (7) के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)

किला नं. 2/1 के मिन उत्तर 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 2/1 के मिन दक्षिण की 0.133 है0, 2/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 3/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 3/1 के मिन उत्तर 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 3/1 के मिन दक्षिण की 0.117 है0, 8 के मिन पश्चिम की 0.138 है0, 9 के मिन पूर्व की 0.156 है0, 12 के मिन पूर्व की 0.156 है0, 13 के मिन पश्चिम की 0.138 है0, 18 के मिन पश्चिम की 0.138 है0, 19 के मिन पूर्व की 0.156 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प0 नं0 358/411 (7) किला नं. 4/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 4/1 के मिन पश्चिम की 0.149 है0, 7 के मिन पश्चिम की 0.176 है0, 14 के मिन पश्चिम की 0.176 है0, 17 के मिन पश्चिम की 0.176 है0, 3/1 के मिन पूर्व की 0.098 है0, 8 के मिन पूर्व की 0.115 है0, 13 के मिन पूर्व की 0.115 है0, 18 के मिन पूर्व की 0.115 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प0 नं0 348/411 (7) किला नं. 5/1 के मिन दक्षिण की 0.177 है0, 5/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 5/1 के मिन की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/3 0.038 गै0 मु0 रास्ता, 6/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 6/2 की 0.215 है0, 15/1 की 0.215 है0, 15/2 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/1 की 0.215 है0, 16/2 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 4/1 के मिन उत्तर की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 4/1 के मिन दक्षिण 0.066 है0, 7 के मिन पूर्व की 0.077 है0, 14 के मिन पूर्व की 0.077 है0, 17 के मिन पूर्व की 0.077 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प0 नं0 358/411 (7) के किला नं. 1/1 की 0.228 है0, 1/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत के खाता संख्या 190/55 की कुल 4.5670 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 374/402 (59) किला नं. 12/1 की 0.240 है0, 12/2 की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 19 की 0.253 है0, 22 की 0.253 है0, 23/2 की 0.1140 है0 प0 नं0 374/403 (66) के किला नं. 3/2 की 0.038 है0 नहरी भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प0 नं0 374/401 (56) के किला नं. 16/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 16/2 की 0.2280 है0 व प0 नं0 375/401 (57) के किला नं. 11 की 0.253 है0, 12 की 0.253 है0, 13 के पूर्व की 0.034 है0, 18 के मिन पूर्व की 0.034 है0, 19, 20, 21, 22 प्रत्येक की 0.253 है0, 23 के मिन पूर्व की 0.034 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी खाते की शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 118/123 की कुल 1.012 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 4 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश

उपखण्ड अधिकारी (सिद्ध)
नोहर (हनुमानगढ़)

नहीं हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीया नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक...3/6/23...को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-फेफाना

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -413/2023

अनवान : -

1. नत्थुराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्


1. रामकिशन पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
2. रामस्वरूप पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
3. श्रवण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
4. शकुन्तला पत्नी बुधराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
5. मन्जू पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
6. उर्मिला पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 413 सन 2023 निर्णय दिनांक 03.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 43/43 की कुल 13.1560 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 एवं 3 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर 942/13156 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 803/13156 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 45/45 की कुल 0.4170 है0 भूमि में से 0.2277 है0 भूमि वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 0.113 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 0.0763 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 204/19 की कुल 0.7580 है0 में से प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 360/411 (47) के किला नं. 9 के मिन पूर्व की 0.076 है0, 10 की 0.253 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प0 नं0 360/411 (47) के किला नं. 6/4 की 0.012 है0 गै0 मु0 रास्ता, 7/2 की 0.012 है0 गै0 मु0 रास्ता, 8/2 की 0.2280 है0, 9 के मिन पश्चिम की 0.177 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 188/191 की कुल 0.6750 है0 भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 44/52 के की कुल 0.5060 है0 भूमि वादी के नाम यथावत रहेगी एवं रोही मौजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 27/27 की कुल 6.072 है0 भूमि में से प0 नं0 359/411 (8) किला नं. 1, 10, 11, 20 प्रत्येक की 0.253 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प0 नं0 358/411 (7) किला नं. 2/1 के मिन पश्चिम की 0.082 है0, 9 के मिन पश्चिम की 0.097 है0, 10 की 0.253 है0, 11 की 0.253 है0, 12 के मिन पश्चिम की 0.097 है0, 19 के मिन पश्चिम की 0.097 है0, 20 की 0.253 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प0 नं0 358/411 (7) के किला नं. 2/1 के मिन उत्तर 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 2/1 के मिन दक्षिण की 0.133 है0, 2/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 3/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 3/1 के मिन उत्तर 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 3/1 के मिन दक्षिण की 0.117 है0, 8 के मिन पश्चिम की 0.138 है0, 9 के मिन पूर्व की 0.156 है0, 12 के मिन पूर्व की 0.156 है0, 13 के मिन पश्चिम की 0.138 है0, 18 के मिन पश्चिम की 0.138 है0, 19 के मिन पूर्व की 0.156 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प0 नं0 358/411 (7) किला नं. 4/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 4/1 के मिन पश्चिम की 0.149 है0, 7 के मिन पश्चिम की 0.176 है0, 14 के मिन पश्चिम की 0.176 है0, 17 के मिन पश्चिम की 0.176 है0, 3/1 के मिन पूर्व की 0.098 है0, 8 के मिन पूर्व की 0.115 है0, 13 के मिन पूर्व की 0.115 है0, 18 के मिन पूर्व की 0.115 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प0 नं0 348/411 (7) किला नं. 5/1 के मिन दक्षिण की 0.177 है0, 5/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 5/1 के मिन की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/3 .038 गै0 मु0 रास्ता, 6/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 6/2 की 0.215 है0, 15/1 की 0.215 है0, 15/2 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/1 की 0.215 है0, 16/2 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 4/1 के मिन उत्तर की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 4/1 के मिन दक्षिण 0.066 है0, 7 के मिन पूर्व की 0.077 है0, 14 के मिन पूर्व की 0.077 है0, 17 के मिन पूर्व की 0.077 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प0 नं0 358/411 (7) के किला नं. 1/1 की 0.228 है0, 1/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत के खाता संख्या 190/55 की कुल 4.5670 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 374/402 (59) किला नं. 12/1 की 0.240 है0, 12/2 की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 19 की 0.253 है0, 22 की 0.253 है0, 23/2 की 0.1140 है0 प0 नं0 374/403 (66) के किला नं. 3/2 की 0.038 है0 नहरी भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प0 नं0 374/401 (56) के किला नं. 16/1 की 0.025 है0

उपर्युक्त अधिकारी (मुख्य)
नोहर (हनुमानगढ़)

खाला, 16/2 की 0.2280 है0 व प0 नं0 375/401 (57) के किला नं. 11 की 0.253 है0, 12 की 0.253 है0, 13 के पूर्व की 0.034 है0, 18 के मिन पूर्व की 0.034 है0, 19, 20, 21, 22

प्रत्येक की 0.253 है0, 23 के मिन पूर्व की 0.034 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी खाते की शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 118/123 की कुल 1.012 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 4 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीया नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-फेफाना